


Form no III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा  
भैरूलाल पिता श्री रामलाल जी जाट जी बनाम तहसीलदार निम्बाहेडा  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 146 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
23.05.2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी की उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा बड़ोलीघाटा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 274 की आराजी नंबर 149 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 150 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 155 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 452 शा.न. 453, 454 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 706 रकबा 0.4900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगद्दी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगद्दी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> <b>उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा</b></p>	

